

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय  
:: आदेश ::

मोपाल दिनांक 03/02/2018

क्रमांक एफ 02-03/2017/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक/181/12/2015/चयन दिनांक 07.03.2017 द्वारा चयनित निम्नलिखित उम्मीदवार को चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर पी. बी.-3 रु. 15600-39100 + ग्रेड पे रुपये 5400 में नियुक्ति प्रदान कर कॉलम नंबर 6 में दर्शाये गये स्थान पर पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	मेरिट नंबर	चिकित्सक का नाम	योग्यता	पता	पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1.	07	डॉ. ऊषा तिवारी	डी.ओ. एम.एस.	1166, नियम फोर्थ ब्रिज, नपेयर टाउन जिला जबलपुर	सिविल अस्पताल सिहोरा जिला जबलपुर

2/- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुक्रम में यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं एवं जाति प्रमाण-पत्र अवैध पाया जाता है तो उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

3/- चयनित उम्मीदवारों को आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में नवीन पदस्थापना का कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

4/- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध अस्थायी) सेवा नियम-1960 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

5/- चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के साथ संलग्न प्रारूप में शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यह शपथ-पत्र का प्रारूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास उपलब्ध है। चयनित उम्मीदवार अपने संभागीय चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने दिया जावेगा।

6/- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चयनित उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय इनके मूल निवासी, जाति एवं अन्य मूल प्रमाण-पत्रों का अवलोकन करें एवं समस्त प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखें।

7/- नवनियुक्त चयनित प्रत्याशियों की पदस्थापना के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8/- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना नियम-2005 लागू होंगे।

//2//

//2//

9/- यदि अभ्यर्थी के द्वारा प्रॉव्हीजनल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है तो नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 06 माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अन्यथा बिना किसी नोटिस/नोटिस बतन के यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

10/- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 03/02/2018

पृ.क्रमांक एफ 02-03/2017/सत्रह/मेडि-एक

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
  2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परि0 क0 विभाग।
  3. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
  4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
  5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
  6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
  7. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
  8. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
  9. आयुक्त, जन सम्पर्क बाणगंगा भोपाल।
  10. संबंधित जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
  11. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
  12. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।
  13. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
  14. संबंधित चिकित्सक .....
  15. आदेश नरित।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग